

## उत्तर पश्चिम रेलवे



संख्या:- 114-E/०/CA-Sual labour

मण्डल रेल प्रबंधक / कार्मिक— जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर  
 मुख्य कारखाना प्रबंधक— अजमेर, जोधपुर, बीकानेर  
 उप मुख्य सामग्री प्रबंधक— अजमेर, जोधपुर  
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण— जयपुर  
 समस्त विभागाध्यक्ष / प्रका.— जयपुर  
 सचिव / महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक / सतर्कता प्रका.— जयपुर  
 मुख्य राजभाषा अधिकारी / प्रका.— जयपुर  
 अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड— अजमेर  
 प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान— उदयपुर  
 प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र— जोधपुर  
 उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.— जयपुर  
 संहायक सचिव / गोपनीय — महाप्रबंधक प्रका.— जयपुर  
 मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.— जयपुर  
 निजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.— जयपुर.

प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

35/2012

दिनांक

28/3/2012

RBE/ku 35/2012

विषय :- Enforcement of Contract Labour (CRLA) Act, 1970  
 and the Building and other Construction workers  
 Regulation of Employment and conditions of service  
 Act, 1996 by All ministries/PSUs/units.

संदर्भ :-

G Railway BUL No. 2012/E (LL)/AT/CNR/16

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि.  
 एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

dt. 16/3/12 की प्रतिलिपि

16/3/12

सलंगन— यथोक्त।

2  
 (आर.के.शर्मा)

कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 7. महासचिव— एनडब्ल्यूआरईयू        | 15 प्रतियाँ। |
| 8. महासचिव— यूपीआरएमएस            | 15 प्रतियाँ। |
| 9. महासचिव— एससी / एसटी एसो.      | 15 प्रतियाँ। |
| 10. महासचिव— ओबीसी एसो.           | 05 प्रतियाँ। |
| 11. महासचिव— पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 प्रतियाँ। |



Government of India  
Ministry of Railways  
(Railway Board)

RBE. No. 35 /2012

✓GM ✓  
✓CPO ✓  
Dy. Cpo (W/M)  
OSF EP

No. 2012/ E (LL) / AT/ CNR / 6

New Delhi, dated 16- 03-2012

NW Regd ✓  
The General Managers,  
All Zonal Railways, Pus, Metro Railway, Kolkata.

CORE, Allahabad, RDSO, Lucknow.

The General Manager, Railway Staff College, Vadodra.

The General Managers, IRIEEN, Nasik, IRIMEE, Jamalpur, IRICEN, Pune,  
IRISET, Secunderabad, IRITEM, Lucknow, CAMTECH, Gwalior.

The CAO, COFMOW, Tilak Bridge, New. Delhi.

The Vice Chairman, Rail Land Development Authority (RLDA), Moti Bagh -I ,  
Near Safdarjung Railway Station , New Delhi-110 021.

The Managing Director, Container Corporation of India Ltd., Concor Bhavan,  
C-3, Mathura Road, Opp. Appolo Hospital, New Delhi-110076.

The Managing Director, CRIS, Chankypuri, New Delhi.

The Managing Director, IRCON. International Ltd., Palika Bhavan, R.K.  
Puram, Sector -13, New Delhi.

The Managing Director , Indian Railway Catering & Tourism Corporation  
Ltd.,Corporate Office, 9<sup>th</sup> Floor, Bank of Baroda Building , 16 Parliament  
Street, New Delhi.

The Managing Director , Indian Railway Finance Corporation Ltd., NBCC  
Place , Bhisma Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi.

The Managing Director , Konkan Railway Corporation Ltd., 3, Rail House,  
Panchsheel , Sector -23, CBD, Belapur, Navi Mumbai.

The Managing Director, Mumbai Rail Vikas Corporation Ltd., D-44,  
P.B.Colaba, Mumbai.

The Managing Director , Rail Vikas Nigam Ltd.,34, S.P. Marg, New Delhi.

The Managing Director , Railtel Corporation of India Ltd., 10<sup>th</sup> Floor , Bank of  
Baroda Building , 16 Parliament Street, New Delhi.

The Managing Director, RITES Ltd., RITES Bhavan, Plot No. No.1, Stector -  
29, Gurgaon.

The Managing Director Dedicated Freight Corridor Corporation of India  
Limited, Metro Station Building, Pragati Maidan, New Delhi.

Sub: Enforcement of Contract Labour (R&A) Act, 1970 and the Building  
and Other Construction Workers (Regulation of Employment and  
Conditions of Service) Act, 1996 by All Ministries /PSUs/Units.

The Staff Inspection Unit (SIU) of the Ministry of Finance (Department of  
Expenditure) had conducted the work measurement study of the Office of the

Cont.2.


37  
27/3

Regional Labour Commissioner (Central) Dhanbad & Jabalpur under the Ministry of Labour and Employment and made recommendations one of which is as under:-

Para 8. 2. of the reports: "An effective mechanism is required to be evolved to make the Contractual Labour Act and the BOCW Act effective in its enforcement. The observation of the team is that implementation of these Acts which are lately emerging as wider in its coverage on ground, is quite ineffective in curbing the violations. In this context, the SIU is of the view that to make these two laws in operationalization form and making it effective, a directive from the highest level of the Ministry can go to all Ministries and their executive authorities to hire the contractors who are in position to fulfill all the conditions stipulated in the schedule -I to XII of the Contract Labour Act. This measure from the Ministry will to some extent make the establishments perceptive to the directions of the Ministry and will have an indirect effect in the enforcement of this Act".

Board desire that Railway should ensure better and effective compliance of the provisions of all the Labour enactments including the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

Please acknowledge receipt.



(A. D. Ramachandran)  
Director Establishment (LL)

आरबीई सं. 35/2012

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2012-ई (एलएल)/एटी/सीएनआर /6

नई दिल्ली, दिनांक: 16.03.2012

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयां और मैट्रो रेल, कोलकाता,  
वोर, इलाहाबाद, महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ।

महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, बडोदरा

निदेशक, इरीन, नासिक, इरिमि जमालपुर, इरिसेन, पुणे,  
इरिसेट, सिंकंदराबाद, आईआरआईटीएम, लखनऊ, केमटेक, ग्वालियर।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली।

उपाध्यक्ष, आरएलडीए मोती बाग-I, सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110021

प्रबंध निदेशक, कॉनकोर लि., कॉनकोर भवन, सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076

प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

प्रबंध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लि., पालिका भवन, आर.के. पुरम, से.13, नई दिल्ली

प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, कॉरपोरेट आफिस, 9वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली

प्रबंध निदेशक, भारतीय रेल वित्त निगम लि. एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली

प्रबंध निदेशक, कॉकण रेल निगम लि., 3, रेल हाऊस, पंचशील, सेक्टर 23, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई

प्रबंध निदेशक, मुंबई रेल विकास निगम लि. डी-44, पोस्ट बॉक्स कोलाबा, मुंबई

प्रबंध निदेशक, रेल विकास निगम लि. 34, एस. पी. मार्ग, नई दिल्ली

प्रबंध निदेशक, भारतीय रेलटेल निगम लि., 10वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली

प्रबंध निदेशक, राइट्स लि., राइट्स भवन, प्लॉट नं.1, सेक्टर-29, गुडगांव

प्रबंध निदेशक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

**विषय:** सभी मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/इकाइयों द्वारा संविदागत श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 को लागू करना।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू) ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) धनबाद और जबलपुर के कार्यालयों का कार्य के आकलन का अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें दी, जिनमें से एक निम्नानुसार है:

**रिपोर्ट का पैरा 8.2:** "संविदागत श्रमिक अधिनियम और बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम को लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना अपेक्षित है। इस टीम ने देखा कि इन अधिनियमों के कार्यान्वयन वास्तव में अपनी कवरेज के कारण हाल में काफी विस्तृत हो गया है, के उल्लंघन को रोकने की व्यवस्था काफी निष्प्रभावी है। इस संदर्भ में एसआईयू का

मानना है कि इन दो कानूनों को लागू करने और इन्हें प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय के उच्चतम स्तर से सभी मंत्रालयों को अनुदेश दिए जा सकते हैं और उनके एकजीक्यूटिव प्राधिकारी उन ठेकेदारों को हायर करें, जो संविदागत श्रमिक अधिनियम की अनुसूची के I से XII में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में हों। मंत्रालय के इस उपाय से कुछ सीमा तक संगठन, मंत्रालय के निदेशों को समझेंगे और इस अधिनियम को लागू करने में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा"।

बोर्ड ने बांधा की है कि रेलों द्वारा संविदागत श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1996 के उपबंधों सहित सभी श्रम अधिनियमों के उपबंधों का बेहतर एवं प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कृपया पावती दें।

ए. डॉ. रामचन्द्रन  
(ए. डॉ. रामचन्द्रन)

निदेशक स्थापना (एलएल)